

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 15 जनवरी, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त (अलवर, बीकानेर, बूंदी, करौली,
भीलवाडा, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, कोटा, नागौर,
पाली, सिरोंही को छोड़कर), राजस्थान ।


विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, दिनांक 05.09.2017 एवं 26.10.2017 तथा बीसी दिनांक 18.12.2017

माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ताओं की कार्यशाला में प्रत्येक जिलों में जिला परिषद/पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 31.12.2017 तक आवश्यक रूप से स्थापित करने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में जिलों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा उपरान्त मात्र 11 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में प्रयोगशाला स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


मा0 मंत्री महोदय द्वारा अधिकांश जिलों में गुणवत्ता परीक्षण स्थापना अभी तक नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया है एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया है, जो खेदजनक है।

अतः उक्त संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कराकर जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 31.01.2018 तक आवश्यक रूप से गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराना सुनिश्चित करे, अन्यथा अनेच्छक आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।


(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राविप्र), समस्त (अलवर, बीकानेर, बूंदी, करौली, भीलवाडा, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, कोटा, नागौर, पाली, सिरोंही को छोड़कर), राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी-I/एसएपी-II ईजीएस), ग्रामीण विकास।
10. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/प्रो0) महात्मा गाँधी नरेगा/ग्रामीण विकास/पंचायतीराज।
11. अधिशाषी अभियन्ता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद, समस्त (अलवर, बीकानेर, बूंदी, करौली, भीलवाडा, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, कोटा, नागौर, पाली, सिरोंही को छोड़कर), राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)